उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–तृतीय
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

पत्रांकः 238 नि0 प्रा0–08/16–17 /वा0 नि0–1/ दिनांक 30/1/2017

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री अवनीश गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गोयल
3 ई–215, माधवपुरम, मेरठ।

विषयः– व्यसायिक भूखण्ड संख्या 2 सी0पी0–101, माधव पुरम योजना, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यसायिक भूखण्ड संख्या 2 सी0पी0–101 माधव पुरम, मेरठ पर पेट्रोल पम्प के निर्माण सम्बन्धी आवेदन के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 115/नि0प्रा0–08/16–17 दिनांक 16.01.2017 द्वारा सूचित करायी गयी औपचारिकताओं की आप द्वारा पूर्ति के कम में नि0प्रा0 रजिस्टर सं0 08/16–17 के अन्तर्गत निम्न शर्तो के अधीन एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 30-1-17 से 29-1-2022 तक
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–08 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
4. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावृधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. भूखण्ड में पार्किंग स्वीकृति मानचित्र के अनुसार निश्चित स्थल पर अनुमन्य होगी, जिससे कि बगल के भवनों /भूखण्डों का मार्ग/ आवागमन अवरूद्ध न हो, यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
6. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे कियाकलापों से अगल–बगल के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हों रही है तब उस कियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
7. यह स्वीकृति 442.40 वर्गमी0 क्षेत्र के भूखण्ड पर भूतल हेतु कुल प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र 169.02 वर्गमी0 के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है।
8. निर्माण स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित ही मान्य होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके। तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि , वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर के नाम अंकित होंगे।
10. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. शासनादेश के अनरूप वृक्षारोपण तथा उसके रखरखाव का प्राविधान करना होगा।
12. समय –समय पर शासन/परिषद द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होंगे ।
13. सम्बन्धित पेट्रोलियम विभाग/अग्निशमन एवं अन्य विभागो के सुरक्षा सम्बन्धी सभी दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

सलंग्नकः

1.आर्कीटैक्चुरल मानचित्र (01 नग)
2.अग्नि शमन अनापत्ति सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एवं सत्यापित मानचित्र

30/1/17

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

कृ0प0उ0

Scanned by CamScanner